# यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/134/2023 तारीख रजू..........................

शेरसिंह **बनाम** बाबू वगैरह

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 6.2023 | वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है।<br>अतः उभयपक्षकारान को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 378, 380/615, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, ,वाके ग्राम भांवर तहसील कठूमर मे रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिऐ कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनीं अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्तं समक्षा जावेगा।<br>अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 30.6.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि० डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 30.06.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) राज० | |

की बालना में पक्ष। ... वास्ते ...

दिनांक 28.2.24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

3/4/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र पेश कर अपना वाद को खारिज करा लिया है। प्रा० पत्र पर RTO चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र RTO भी नहीं लेकर वह खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील मुल वाद के साथ शामिल रहे हुक्म।

SDO
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०